

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

02 फरवरी 2017

विषय:- जनपद बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग (एस0एच0-76)किमी0 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/06/90/2016/468, दिनांक 09-01-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में संशोधित क्षेत्रफल के एन0पी0वी0 की शुद्ध गणना एवं लागत लाभ विश्लेषण यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

2- विषयगत प्रकरण के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख अनुपालन आख्या शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।